डाटा सेंटर में अब आसानी से पास होगा ऊंचे भवनों का नक्शा

अमर उजाला ब्यूरो

आईटी व इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने की है प्राधिकरणों के खिलाफ शिकायत

आवास विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए, कहा नक्शा पास करने में न करें हीलाहवाली

लखनऊ। प्रदेश के डाटा सेंटर पार्कों में ऊंचे भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) देने में कुछ विकास प्राधिकरणों की मनमानी पर शासन ने कड़ी नाराजगी जताई है। आवास विभाग ने सभी विकास प्राधिकरणों को डाटा पार्क में भवनों के निर्माण के लिए जारी नीति के मुताबिक नक्शा पास करने का निर्देश दिया है।

आवास विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डाटा सेंटर पार्क के लिए नक्शा पास करने के लिए बीते अप्रैल में जारी शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद भी आईटी एवं इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है कि कुछ विकास प्राधिकरणों द्वारा शासनादेश की अनदेखी की जा रही है। जिससे नक्शा पास करने में तमाम तरह की अड़चनें पैदा हो रही हैं। इसके मद्‌देनजर आवास विभाग ने शासनादेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

शासनादेश के मुताबिक ही भवन निर्माण एवं सभी प्रकार के मापदंडों का पालन करना होगा। इसको लेकर कई बिंदुओं के निर्देश जारी किए गए हैं। आवास विभाग ने विकास प्राधिकरणों को भेजे पत्र में कहा है कि नीति का पालन करते हुए ही नक्शे पास किए जाएंगे, जिससे निवेशकों को परेशानी न होने पाए। हिदायत भी दी है कि नक्शा पास करने में हीलाहवाली करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।